क्रम संख्या–76

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 28 फरवरी, 2009

फाल्गुन 9, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 498/79-वि-1–09-1(क)5-2009

लखनऊ, 28 फरवरी, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 27 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन्, 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया की धारा 2 में, —

(क) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढा दिया जायेगा, अर्थात :—

"(घ-1) 'कैप्टिव उपभोग' के लिये शीरा' का तात्पर्य ऐसे अन्तरित शीरे से है जो चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी ऐसी आसवनी अथवा अन्य औद्योगिक इकाई को अन्तरित किया गया हो, जिनका स्वामित्व चीनी मिल का ही हो और वह चीनी मिल के परिसर में या चीनी मिल से लगे हुए सामीपस्थ स्थल पर स्थित हो, जिससे किसी वाहन द्वारा चीनी मिल के परिसर या गेट के बाहर ऐसे शीरे के अन्तरण या परिवहन की आवश्यकता न हो।"

(ख) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :—

"(झ) 'संग्रहण' के अन्तर्गत किसी चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी आसवनी या औद्योगिक इकाई को शीरे का अन्तरण सम्मिलित होगा ;

(ञ) 'अन्तरण' के अन्तर्गत किसी चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी आसवनी या औद्योगिक इकाई को स्टाक अन्तरण या कैप्टिव उपभोग हेतु शीरे का अन्तरण सम्मिलित होगा।"

धारा 8 का संशोधन

3— मूल अधिनियम की धारा 8 में:—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "बेचने या सम्भरित करने" के स्थान पर शब्द "अन्तरित करने अथवा बेचने अथवा सम्भरित करने " रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "बेचे गये या सम्भरित" के स्थान पर शब्द "अन्तरित या बेचे गये या सम्भरित" रख दिये जायेंगे तथा उपधारा (5) में शब्द "बेचा या सम्भरित" के स्थान पर शब्द "अन्तरित या बेचा या सम्भरित" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:—

"(ख ख) ऐसे पात्र या बण्डल के प्रवहण में प्रयुक्त प्रत्येक पशुवाहन, वेसल कंटेनर या अन्य सवारी का अभिग्रहण."

धारा 17 का संशोधन

5— मूल अधिनियम की धारा 17 में शब्द "शीरा सम्भरित किया जाय" के स्थान पर शब्द "शीरा अन्तरित अथवा सम्भरित किया जाय" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

सिविल अपील सं०4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि० बनाम राज्य सरकार और अन्य में अपीलार्थी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा है कि उनके चीनी मिल में उत्पादित शीरा उनकी आसवनियों में उनके उपभोग के लिए पर्याप्त नहीं है, और अन्य चीनी मिलों से शीरा क्रय करना पड़ता है। अतएव शीरा का आरक्षण उनके ऊपर लागू नहीं किया जाना चाहिए । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त याचिका में अपील को स्वीकार कर लिया और निदेश पारित किया है कि ऐसी चीनी मिलों पर, जो अपने उत्पादन (शीरा) का उपयोग अपने प्रयोजनों के लिए करती है, शीरा का आरक्षण लागू नहीं किया जाना चाहिए । अर्थात ऐसी चीनी मिलें जिनकी अपनी आसवानियां हैं और अपनी आसवनियों में ही शीरा का उपभोग करती हैं, पर आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है।

इन चीनी मिलों में प्रशासनिक शुल्क अर्थात शीरा के विक्रय पर शुल्क पर यह कहते हुए कि, वे शीरा का विक्रय नहीं करती हैं वरन इसका उपभोग अपने प्रयोजनों के लिए करती हैं, माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रखा है।इस प्रकार 30 मामले माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं और अब तक लगभग 23 करोड रूपये अवशेष के रूप में प्रोदभूत हो गये हैं जो भविष्य में और भी बढ जायेगा। ये चीनी मिलें इस लाभ को प्राप्त कर सकेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 और तदधीन बनायी गयी नियमावली में शीरा के कैप्टिव उपभोग के संबंध में कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

इसके परिप्रेक्ष्य में विशेषज्ञ अधिवक्ताओं की राय प्राप्त की गयी जिन्होंने उक्त अधिनियम और नियमावली को उपान्तरित करने का परामर्श दिया। उनके अनुसार "कैप्टिव उपयोग का तात्पर्य माल को विक्रय नहीं किया गया वरन फैक्ट्री में ही उपयोग किया गया है। "अधिनियम और नियमावली में सम्मिलित किये जाने वाली कैप्टिव उपभोग की इस परिभाषा से केवल वही चीनी मिलें, जिनके पास उसी परिसर में आसवनियां हैं, आरक्षण/प्रशासनिक शुल्क से छूट की हकदार होंगी जब कि ऐसे समूह की अन्य चीनी मिलें कैप्टिव उपभोग की परिधि में नहीं आयेगी। अतएव ऐसी चीनी मिलों में शीरा के उत्पादन पर आरक्षण और प्रशासनिक शुल्क लगाया जा सकेगा।

अतएव उक्त अधिनियम में,–

(क) शब्द "कैप्टिव उपयोग के लिए" "सम्भरण" और "अन्तरण" को परिभाषित करने;

(ख) आदेश द्वारा किसी चीनी फैक्ट्री के स्वामी से शीरा की ऐसी मात्रा ऐसे व्यक्ति को, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अन्तरित करने की अपेक्षा करने के लिए नियंत्रक को सशक्त करने;

(ग) प्रत्येक पशुवाहन, वेसल, कन्टेनर या अन्य सवारी का अभिग्रहण करने के लिए पुलिस अधिकारी या किसी आबकारी अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 498(2)/LXXIX-V-1–09-1(ka)5-2009

Dated Lucknow, February 28, 2009

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sansodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and ascented to by the Governor on February 27, 2009.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2009

(U.P. ACT NO. 10 of 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth year of the republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1964

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 hereinafter referred to as the principal Act,–

(a) *after* clause (d) the following clause shall be *inserted*, namely:–

"(d-I) "Molasses for captive consumption" means the molasses transferred by an occupier of a sugar factory to a distillery or to industrial unit having the same ownership as that of sugar factory, and is situated within the same premises or in such a contiguous vicinity of the sugar factory so that the transfer or transportation of such molasses outside the premises or gates of the sugar factory, by a vehicle, is not required."

(b) *after* clause (h) the following clauses shall be *inserted*, namely:–

"(i) 'Supply' shall include transfer of molasses by an occupier of a sugar factory to any distillery or industrial unit.

(J) 'Transfer' shall include transfer of molasses by an occupier of a sugar factory to any distillery or industrial unit by way of stock transfer or for captive consumption."

Amendment of section-8

3. In section 8 of the principal Act,–

(a) in sub-section *(1) for* the words "sell or supply" the words "transfer or sell or supply" shall be *substituted*;

(b) in sub-sections (4) and (5) *for* the words "sold or supplied" the words "transferred or sold or supplied" shall be *substituted*.

Amendment of section-14

4. In section 14 of the principal Act, in sub section (1), *after* clause (b) the following clause shall be *inserted*, namely:–

"*(bb)* seize every animal cart, vessel container or other conveyance used in carrying such receptacle or package".

Amendment of section-17

5. In section 17 of the principal Act *for* the words "molasses is supplied" the words "molasses is transferred or supplied" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In civil Appeal no. 4466/2007 M/s Dhampur Sugar Mills Ltd. Vs State of U.P. and others the appellant has stated before the Hon'ble Supreme Court, that the molasses produced in his sugar mill is not sufficient for his own consumption in his distilleries and he has to purchase molasses from other sugar mills. Hence the reservation on molasses should not be imposed on them. The Hon'ble Supreme Court in the aforesaid petition has allowed the appeal and passed the direction that reservation on molasses shall not be imposed on those sugar mills that utilize their produce (molasses) for their own purpose. Meaning thereby reservation can not be imposed on such sugar mills as have their own distilleries and consume molasses in their own distilleries. These sugar mills have also obtained stay order from the Hon'ble courts on the administrative charges, that is charged on the sale of molasses, stating that they are not selling molasses but are using it for their own purpose. There are 30 such cases pending in Hon'ble Courts and around Rs. 23 crores has accrued as arrears so for which will increase in future. These sugar mills could get this benefit because there is no clear cut provisions in Molasses Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 and the rules made thereunder regarding Captive Consumption (own use). In view of this, opinion was sought from expert lawyers who advised for modification in the said Act. According to them "Captive Consumption means goods not sold but consumed within factory". With the definition of captive consumption to be incorporated in the said and the rules only those sugar mills which have distilleries in the same campus shall be entitled for exemption from reservation/administrative charges, whereas other

sugar mills of such groups shall not fall in the ambit of captive consumption. Hence reservation and administrative charges may be imposed on production of molasses in such sugar mills.

It has, therefore, been decided to amend the said Act, (a) to define the words "molasses for captive consumption "Supply" and transfer";

(b) to impose the Controller to require by order, the occupier of any sugar factory to transfer such quantity of molasses to such person, as may be specified in the order;

(c) to authorize a police officer or an Excise Officer to seize every animal cart, vessel, container or other conveyance used in carrying receptacle or package.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–एं०पी० 1029 राजपत्र (हि०)–2009–(2227)–597 प्रतियां–(क०/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–एं०पी० 184 सां० विधा०–2009–(2228)–850 प्रतियां–(क०/टी०/आफसेट)।